

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 240वीं बैठक  
दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अनुपालन आख्या

मद सं०	विषय	अनुपालन
240/1	परिषद की 239वीं बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि। परिषद की 239वीं बैठक दि० 21.10.16 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
240/2	परिषद की 239वीं बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 की अनुपालन आख्या। परिषद की 239वीं बैठक दि० 21.10.16 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

भूमि अर्जन अनुभाग

240/3	परिषद की मझोला योजना सं०-4, भाग-2, मुरादाबाद के अन्तर्गत भू-स्वामी श्री राम बहादुर के खसरा सं०-998 की अवशेष भूमि को विकास शुल्क लेकर समायोजन के सम्बन्ध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा० परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1533/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक 29.12.2016 द्वारा परिषद निर्णय का अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-24/26, मुरादाबाद को भेजा गया।
240/4	परिषद की दिल्ली रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-8 सहारनपुर में समाविष्ट ग्राम-मवीकला के अन्तर्गत खसरा संख्या-277/1, 277/2, 278/ 1 व 278/2 कुल क्षेत्रफल 2.932 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एक समिति का गठन कर समग्र बिन्दुओं का परीक्षण करायेंगे तदोपरान्त सुविचारित आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।	मा० परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1553/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक 03.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-32, सहारनपुर को कार्यवाही हेतु लिखा गया।
240/5	परिषद की योजना सं०-3 उन्नाव की 581.48 एकड़ के स्थान पर आपसी समझौते के आधार पर 100-150 एकड़ भूमि पर योजना चलाये जाने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त	मा० परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1536/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक 30.12.2016 द्वारा परिषद निर्णय के अनुरूप कार्यवाही हेतु अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, कानपुर को भेजा गया।

	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	
240/6	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम सरसवाँ में एम0आई0 बिल्डर्स, लि0 के ग्रुप हाउसिंग हेतु स्वीकृत मानचित्र से आच्छादित खसरा नम्बरों की भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया। एन0ओ0सी0 निर्गत कर दी जाय।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1548/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 03.01.2017 द्वारा उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ गोमतीनगर, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया।
240/7	बहराइच खास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच के सम्बन्ध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1587/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 09.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई गोण्डा को अवगत कराया गया।
240/8	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना कानपुर को परित्याग किये जाने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-107/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 30.12.2016 द्वारा परिषद निर्णय के अनुरूप कार्यवाही हेतु सचिव, आवास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को भेजा गया।
240/9	पटेल नगर योजना संख्या-1 उरई जनपद जालौन को परित्याग किये जाने के सम्बन्ध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-108/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 30.12.2016 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास उ0प्र0 शासन को परिषद निर्णय के अनुरूप कार्यवाही हेतु भेजा गया।
240/10	महोबा, चरखारी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 महोबा को परित्याग करने के सम्बन्ध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-109/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 30.12.2016 द्वारा परिषद निर्णय के अनुरूप कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, आवास को भेजा गया।
240/11	परिषद की सिविल लाइन्स योजना संख्या-2 बदायूँ के अन्तर्गत श्री जय भगवान के खसरा संख्या-311 ग्राम-नेकपुर क्षेत्रफल 12 बिस्वा (लगभग 1520 वर्ग मीटर) भूमि को विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित करने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1524/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 28.12.2016 द्वारा परिषद निर्णयानुसार कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-26, मुरादाबाद को भेजा गया।
240/12	वृन्दावन योजना संख्या-2 भाग-1, लखनऊ के ग्राम हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या-2182 व 2183 की भूमि में से 2680.118 वर्ग मीटर भूमि को वर्तमान व्यवसायिक दर का आसुधार शुल्क लेकर समायोजित/आवंटित	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1593/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 10.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, लखनऊ को पत्र भेजा गया।

	करने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर, व्यावसायिक दर का 20% आसुधार शुल्क लेकर समायोजित/आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
240/13	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की डायमण्ड डेयरी योजना में लगभग 12000 वर्ग फिट फ्रीहोल्ड भूमि के समायोजन के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान दर पर आवंटन करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1554/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 03.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-13, लखनऊ को परिषद निर्णय का अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
240/14	जागृति विहार योजना संख्या-6, मेरठ स्थिति आवासीय भूखण्ड संख्या-756/6 की अवशेष धनराशि को सामान्य ब्याज लगाकर गणना तैयार कर प्रेषित करने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मा0 अंकुश समिति के निर्णय को मा0 निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया। इस सम्बंध में मा0 अंकुश समिति के निर्णय को यथावत क्रियान्वित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अवशेष धनराशि पर गणना वर्तमान प्रचलित व्याज दर के आधार पर की जायेगी।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में सम्पत्ति अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1657/सं0प्र0-3/1135/2011/मेरठ/3235 दिनांक 28.12.16 द्वारा जारी किया गया।
240/15	अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-5, आगरा में प्रथम चरण के अन्तर्गत 154.41 एकड़ भूमि को काश्तकारों/भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर क्रय करने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर आवास आयुक्त के निर्णय पर सहमति व्यक्त की गयी।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1549/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 03.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-28, आगरा को परिषद निर्णय का अनुपालन करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
240/16	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम देवामऊ के खसरा संख्या-188स कुल रकबा 0.163 हेक्टेयर (1630.00 वर्गमीटर) भूमि में 1/2 भाग 815.00 वर्गमीटर भूमि पर निर्मित निर्माण/बाउण्ड्रीवाल से घिरी भूमि को समायोजित करने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान दर पर भूमि दिये जाने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त भूमि पर प्रस्तावित	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1545/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 03.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-15, लखनऊ को परिषद निर्णय का अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

	दुर्बल आय वर्ग भवनों तथा सड़क आदि के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें।	
--	--	--

### सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

240/17	कन्वेंशन पार्टी लान आवास विकास परिषद, वसुन्धरा अटल चौक, सेक्टर-16 गाजियाबाद के सम्बन्ध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में सम्पत्ति अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1656/ सं0प्र0-3/1407/14गाजि0/3507 दिनांक 28.12.16 द्वारा निर्गत किया गया।
240/18	परिषद की केशवपुरम् योजना संख्या-1, कानपुर में स्थित संस्थागत भूखण्ड संख्या-INS-M-2 क्षेत्रफल 997.50 वर्गमी0 भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन) के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज को अवमुक्त किये जाने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही सैद्धान्तिक रूप से यह भी विचार किया गया कि शासकीय संस्थाओं को बजट की स्वीकृति में समय लग जाता है इसलिये उनसे आवंटन के उपरान्त नियत तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में व्याज की अपेक्षा न की जाय। इस सम्बंध में यह भी निर्णय लिया गया कि शासकीय संस्थाओं को आवंटन पत्र जारी करने के बाद तथा उनके बजट आवंटन के उपरान्त धनराशि जमा करने हेतु छह माह का समय प्रदान किया जाय तथा इस अवधि का कोई ब्याज न लिया जाय। शासकीय संस्थाओं की धनराशि जमा करने की परिस्थिति के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षण करके 06 माह का अतिरिक्त समय दिये जाने हेतु विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अधिकृत किये जाने का निर्णय भी लिया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में सम्पत्ति अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1662/ सं0प्र0-3/1178/2012/3278 दिनांक 28.12.16 द्वारा निर्गत किया गया।
240/19	परिषद की वृन्दावन योजना स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-10ए/जी0 एच0-5 के क्षेत्रफल को पूरा करने के सम्बन्ध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त पर मा0 परिषद द्वारा वर्ष 2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही कराये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में सम्पत्ति अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1660/ सं0प्र0-3/1355 दिनांक 28.12.16 द्वारा निर्गत किया गया।

## वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

240/20	परिषद की यू0पी0आई0एल0 योजना, लखनऊ में सिटी माण्टेसरी स्कूल को आवंटित भूखण्ड के एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग के पत्रांक-4696 दिनांक 28.12.2016 के माध्यम से शासन को प्रस्ताव सन्दर्भित किया गया।
240/21	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-5 में प्रस्तावित मुख्य पार्क के नियोजन एवं विकास के सम्बन्ध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में प्रस्ताव निरस्त होने के कारण कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

## समन्वय अनुभाग

240/22	श्री राजेश कुमार, बिजली मिस्त्री, विद्युत खण्ड-प्रथम, इन्दिरानगर, लखनऊ के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में समन्वय कार्यालय पत्रांक-2035/सम0अनु0 दिनांक 12.01.2017 विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रकरण प्रेषित किया गया।
240/23	परिषद योजनाओं में स्थित स्टाफ क्वार्टर के रूप में आरक्षित प्लैटस को अनारक्षित कर उनमें अध्यासित कार्मिकों के पक्ष में निजी रूप से आवंटित करने के संबंध में। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त आवास आयुक्त, अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगे, उक्त समिति पारदर्शिता एवं दुरुपयोग की नगण्यता के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत सूची का परीक्षण कर अपनी सुविचारित आख्या प्रस्तुत करेगी, तदनुसार आवास आयुक्त निर्णय लेकर आगामी बैठक में अवगत कराये जाने एवं इंदिरा नगर, लखनऊ में एकमात्र आरक्षित स्टाफ भवन सं0 16/710 विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	मा0 परिषद के निर्णय के क्रम में अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तृति के क्रम में आवास आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्टाफ प्लैटस के निजी आवंटन की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। स्टाफ भवन सं0-16/710, इन्दिरानगर, लखनऊ को निजीतौर पर आवंटन हेतु पत्र सं0-2078 दिनांक 17.01.2017 निर्गत किया गया।
240/24	स्वर्गीय जगदीश प्रसाद, सहकारी अधिकारी (आवास) के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान कराये जाने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में समन्वय अनुभाग के कार्यालय आदेश सं0-2081 दिनांक 17.01.2017 व कार्यालय आदेश सं0-2255/सम0अनु0 दिनांक 09.02.2017 द्वारा प्रतिपूर्ति/स्वीकृति का आदेश निर्गत किया गया।

### प्रशासन अनुभाग

240/25	परिषद में मुख्य अभियन्ता के रिक्त पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में प्रशासन अनुभाग के पत्रांक-3069/प्रशा0-एक-6362 (भाग-3) दिनांक 29.11.2016 द्वारा पूर्व में आदेश निर्गत किया जा चुका है। परिषद समक्ष मुख्य अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव किया गया था, जो माननीय परिषद द्वारा अवलोकित किया गया। अतः इस संबंध में वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
240/26	वर्ष 2015-16 की अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेसिया) के भुगतान के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में प्रशासन अनुभाग के पत्रांक-3003/प्रशा0-एक-भाग-3(18) दिनांक 2.11.2016 द्वारा पूर्व में आदेश निर्गत किया जा चुका है। परिषद के समक्ष वर्ष 2015-16 की अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेसिया) के भुगतान के संबंध में की गयी कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो माननीय परिषद द्वारा अवलोकित किया गया। अतः इस संबंध में वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

### वित्त एवं लेखानुभाग

240/27	बैंकों के माध्यम से ई-बैंकिंग व एस.एम.एस./ई-मेल की सुविधा प्राप्त कर आवंटियों के खातों को तैयार कर ऑनलाइन सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में लेखानुभाग के कार्यालय आदेश सं0-1251/वित्त आय व्ययक अनु0 दिनांक 03.01.2017 के माध्यम से आवास आयुक्त द्वारा संबन्धित अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।
--------	---	--

### भूमि अर्जन अनुभाग

240/28	परिषद की विभिन्न योजनाओं में आसुधार शुल्क की वसूली के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1568/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 04.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6/8, मेरठ एवं सम्पत्ति प्रबन्धक, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, मेरठ को पत्र अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
240/29	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम सेवई के खसरा संख्या-129 रकबा 0.214 हेक्टेयर समायोजित की गई भूमि के संबंध में।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1559/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 03.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-7, लखनऊ को परिषद निर्णय का अनुपालन करने हेतु पत्र

	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	प्रेषित किया गया।
240/30	वृन्दावन योजना संख्या-1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरेठिया के खसरा संख्या 40 में से 450.00 वर्गमीटर भूमि वर्तमान दर पर आवंटन करने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान आवासीय दर पर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया क्योंकि वर्तमान में भू-विन्यास के अंतर्गत इस स्थल का उपयोग व्यावसायिक है।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1598/ एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 10.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, लखनऊ एवं सम्पत्ति प्रबन्धक, वृन्दावन योजना, लखनऊ को परिषद निर्णय का अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

### अभियंत्रण अनुभाग

240/31	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-8 में गोमती इन्कलैव के अन्तर्गत प्रस्तावित समाजवादी आवास योजना के 1536 नग एवं स्व-वित्त पोषित योजना के 448 नग कुल 1984 बहुमंजिले भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद निर्णयानुपालन में अभियंत्रण अनुभाग, मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-53/एस0ई0(एच0क्यू0)/207 दिनांक 04.01.17 द्वारा रु0 8.67 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई।
--------	---	---

### लखनऊ जोन

240/32	परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में श्री अविनाश मिश्र एवं अवनीश विद्यार्थी को आवंटित प्लैट संख्या-एफ-84 व एफ-84 के विरुद्ध आरोपित ब्याज को माफ किये जाने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आरोपित ब्याज को माफ किये जाने का निर्णय लिया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में लखनऊ जोन, मुख्यालय के पत्र संख्या-222/ल0जोन दिनांक 22.02.17 द्वारा कृत कार्यवाही से संबंधित को अवगत कराया गया।
--------	--	---

### सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

240/33	फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्था की स्थापना हेतु शहीद पथ पर लखनऊ हाट के समीप लगभग 14 एकड़ भूमि एन0ओ0सी0/आवंटित कराये जाने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद निर्णयानुपालन में सम्पत्ति अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1661/सं0प्र0-3/1564/2016/3664/ दिनांक 28.12.16 जारी किया गया।
--------	--	--

## भूमि अर्जन अनुभाग

240/34	कैराना मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 2 शामली, मुजफ्फरनगर को परित्याग किये जाने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1586/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 09.01.2017 द्वारा खण्ड को परित्याग का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
240/35	वृन्दावन योजना सं0-2, भाग-1, लखनऊ में रायबरेली रोड के ग्राम-उतरेठिया की आबादी से लगे खसरों की लगभग 5.04 एकड़ अनियोजित भूमि को वर्तमान दर का आसुधार शुल्क लेकर आवंटन/समायोजन करने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर आवास आयुक्त एक समिति का गठन करेंगे जो स्थल पर जाकर अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों की पूरी सूची नक्शा-नजरी के साथ तैयार करेगी तथा उसका परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	मा0 परिषद निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1661/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 20.01.2017 द्वारा समिति गठित की गयी।
240/36	तालकटोरा योजना (राजाजीपुरम योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-बिहारीपुर में स्थित खसरा संख्या-251 से 270 की अवशेष अलग-अलग पाकेटों की रिक्त भूमि 17-16-0 बीघा 45034 वर्ग मीटर भूमि को वर्तमान दर का विकास शुल्क लेकर आवंटित/समायोजित करने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1589/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 09.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-12, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित किया गया।
240/37	परिषद की वृन्दावन योजना सं0-1, लखनऊ में ग्राम-खरिका के खसरा सं0-492 रकबा 0.636 हे0 भूमि अर्जन मुक्त/आवंटन करने के संबंध में। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव वर्तमान दर अनुमोदित किया गया।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1566/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 04.01.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-15, लखनऊ को परिषद निर्णय का अनुपालन करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

## लेखानुभाग

240/38	आवासीय सम्पत्तियों के विरुद्ध अवशेष धनराशि की वसूली हेतु कार्ययोजना पर व्याख्यात्मक टिप्पणी। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किये जाने का निर्णय	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में प्रस्ताव स्थगित होने के कारण कार्यावाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई।
--------	---	---



	लिया गया।	
240/39	आवंटियों द्वारा जमा की गई धनराशि की पुष्टि एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किये जाने तथा साफ्टवेयर द्वारा आवंटी लेजर को आनलाईन तैयार कराये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही पर अवलोकनार्थ टिप्पणी।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में लेखानुभाग के कार्यालय आदेश सं0-1252 /वित्त आय व्ययक अनु0 दिनांक 03.01.2017 के माध्यम से सचिव/आवास आयुक्त द्वारा संबन्धित अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश किये जा चुके हैं।
	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।	
240/40	अनावासीय सम्पत्तियों के विरुद्ध अवशेष बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्ययोजना पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में प्रस्ताव स्थगित होने के कारण कार्यावाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई।
	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	

### भूमि अर्जन अनुभाग

240/41	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम घुसवलकलों के खसरा संख्या-100 कुल रकब 0.659 (6590.00 वर्गमीटर) में नियोजन समिति द्वारा अर्जन से मुक्त 2000.00 वर्गमीटर भूमि के स्थान पर आपसी समझौते के आधार पर 1333.00 वर्गमीटर भूमि समायोजित करने के संबंध में।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1570/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 05.01.2017 द्वारा अधिशास अभियन्ता, निर्माण खण्ड-7, लखनऊ को परिषद निर्णय का अनुपालन करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि योजना में अन्यत्र भूमि देते हुए असुधार शुल्क के साथ समायोजित किया जाय।	
240/42	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या-1575/2 क्षेत्रफल 0728 हेक्टर भूमि पर पूर्व से निर्मित आवासीय भवनों की भूमि को वर्तमान दर का आसुधार शुल्क लेकर समायोजित करने के संबंध में।	मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या-1558/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 03.01.2017 द्वारा अधिशास अभियन्ता, निर्माण खण्ड-7, लखनऊ को परिषद निर्णय का अनुपालन करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	

### प्रशासन अनुभाग

240/43	<p>परिषद कैडर में संयुक्त आवास आयुक्त का पद सृजित करने के संबंध में।</p> <p>सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा संस्तुति के साथ शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	<p>मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में प्रशासन अनुभाग के पत्रांक-3292/प्रशा0-एक-दिनांक 17.12.2016 शासन को प्रेषित किया जा चुका है।</p>
--------	---	---

### वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

240/44	<p>परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ के ले-आउट मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार भूखण्ड सं0 2/30, 2/116 व भूखण्ड सं0 2/117 में जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर 9.3, 9.4 एवं 9.5 के प्राविधानों के अनुसार क्रियाओं की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में।</p> <p>सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त बिल्डिंग-बाईलॉज के मानकों के अनुरूप आवास आयुक्त को निर्णय हेतु अधिकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>मा0 परिषद के निर्णयानुपालन में वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग के पत्रांक-1269/वा0नि0ई0-6 दिनांक 08.05.2017 द्वारा विकास नगर योजना, लखनऊ में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या-2/30, 2/2016 एवं भूखण्ड संख्या-2/117 में जोनिंग रेगुलेशन के आधार पर बैंक अनुमन्य किये जाने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से आपत्तियों/ सुझाव आमन्त्रित की जानी है। जिस हेतु तद्समय तक सम्बन्धित आवंटी से सहमति प्राप्त नहीं हुई है।</p>
240/45	<p>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।</p>	